अनुदान संख्या 36 – राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अंतरण
GRANT No. 36–TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*16620,00,00*	*12081,23,32*	*–4538,76,68*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*4538,76,68*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	26809,55,00	30804,17,00	30765,84,32	–38,32,68
पूरक	Supplementary	3994,62,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				38,34,52
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*26767,92,00*	*27714,93,00*	*24040,56,58*	*–3674,36,42*
पूरक	*Supplementary*	*947,01,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*3674,36,42*

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष Head					
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान *(प्रभारित)*	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments *(Charged)*				
मू.	*O.*	*1662000.00*	*1208123.32*	*1208123.32*	. .
पु.	*R.*	*–453876.68*			

(I) *"योजनेतर अनुदान - संविधान के अनुच्छेद 275 (I) के परंतुक के अधीन अनुदान (प्रभारित)''* के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) *"सेवाओं के उन्नयन और विशेष समस्याओं के लिए अनुदान''- 60915.93 लाख* रु. की बचत (*126806.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) उपयोग/समापन प्रमाण पत्रों के प्राप्त न होने की वजह से राज्य सरकारों को कम अनुदान जारी किए जाने के कारण हुई।

(खा) *"स्थानीय निकायों के लिए अनुदान''- 156348.50 लाख* रु. की बचत (*344372.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) उपयोग प्रमाण पत्र और राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर कराए जाने संबंधी सूचना प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(गा) *"प्रोत्साहन निधियों को केंद्र का अंशदान''- 260474.00 लाख* रु. की बचत (*446437.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) कुछ राज्य सरकारों द्वारा मध्यावधि राजकोषीय सुधार कार्यक्रम वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें *"योजनेतर अनुदान - संविधान के अनुच्छेद 275(I) के परंतुक के अधीन अनुदान (प्रभारित)''* के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) *"राजस्व लेखा के घाटे की पूर्ति के लिए अनुदान''- 18778.00 लाख* रु. का अधिक व्यय (*562660.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) राज्य सरकारों को पिछले वर्षों के बकाया की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(खा) *"आपदा राहत निधि को अंशदान''- 5083.75 लाख* रु. का अधिक व्यय (*181725.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) राज्यों में गंभीर आपदा आने के कारण हुआ।

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, अभ्यर्पित राशि (3834.52 लाख रु.) 3832.68 लाख रु. की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(I) Under *"Non-Plan Grants-Grants under the Proviso to Article 275(1) of the Constitution (Charged)"*- savings occurred under the following heads:-

(A) *"Grants for upgradation of Services and special problems"*- saving of *Rs.60915.93 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.126806.00 lakhs*) was due to release of less grants to State Governments owing to non-receipt of utilisation/completion certificates.

(B) "*Grants for Local Bodies"*- saving of *Rs.156348.50 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.344372.00 lakhs*) was due to non-furnishing of utilisation certificates and information regarding holding of Local Bodies election by State Governments in time.

(C) *"Centre's Contributions to Incentive Funds"* – saving of *Rs.260474.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.446437.00 lakhs*) was due to non-furnishing of Medium Term Fiscal Reforms Programme to the Ministry of Finance by some State Governments.

2. The above savings were partly offset by excess under *"Non-Plan Grants – Grants under the Proviso to Article 275(1) of the Constitution (Charged)"* - under the following heads:-

(A) "*Grants to cover deficits on Revenue Account*" - excess of *Rs.18778.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.562660.00 lakhs*) was due to payment of previous years arrears to State Governments.

(B) *"Contribution to Calamity Relief Fund"*- excess of *Rs.5083.75 lakhs* (against the sanctioned *appropriation of Rs.181725.00 lakhs)* was due to severe calamity in the States.

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, the amount surrendered (Rs.3834.52 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.3832.68 lakhs).

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "2245" प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत Major Head "2245" Relief on Account of Natural Calamities					
मू.	O.	320000.00	518312.41	518312.41	. .
पू.	S.	21661.00			
पु.	R.	176651.41			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	2318455.00	2505770.07	2505771.91	+1.84
पू.	S.	367801.00			
पु.	R.	–180485.93			

(I) 14140.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "3601"- "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - किशोर बालिकाओं के लिए पोषण कार्यक्रम" के अंतर्गत मंत्रिमंडल समिति द्वारा इस स्कीम को स्वीकृत न किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.14140.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "3601"- "Grants for State Plan Schemes – Block Grants - Nutrition Programme for Adolescent Girls (NPAG)"- due to non-clearance of the scheme by Cabinet Committee.

(II) मुख्य शीर्ष "3601" - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - विकास और सुधार सुविधा/राष्ट्रीय सम विकास योजना" के अंतर्गत 322500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को दिसंबर, 2004 में 11500.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 334000.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 157590.92 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) राज्य सरकारों से परियोजना प्रस्तावों/जिला योजनाओं की प्राप्ति में विलंब होने और उसके परिणामस्वरूप अधिकारप्राप्त समिति द्वारा जिला योजना को विलंब से अनुमोदन प्रदान किए जाने और साथ ही, स्कीम को धीमी गति से लागू किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3601" – "Grants for State Plan Schemes – Block Grants – Development and Reform Facility/Rashtriya Sam Vikas Yojana (RSVY)" – the original provision of Rs.322500.00 lakhs was augmented to Rs.334000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.11500.00 lakhs in December, 2004. However, there was a saving of Rs.157590.92 lakhs (including supplementary grant) due to delay in receipt of project proposals/district plans from the State Governments and consequently late approval of the district plan by Empowered Committee and also on account of slow implementation of the scheme.

(III) मुख्य शीर्ष "3601" - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान" के अंतर्गत दिसंबर, 2004

(III) Supplementary grant obtained in December, 2004 under Major Head "3601" –

में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''स्लम विभाग''- 11600.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 11400.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 23000.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित शर्तें पूरी न किए जाने की वजह से कम निधियां जारी किए जाने के कारण 2957.56 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) ''विशेष योजना सहायता''- 63000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 144000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 207000.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत विशेष योजना सहायता के अधीन अपेक्षित सीमा से कम राशि जारी किए जाने के कारण 67500.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) ''अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम''- 67600.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 51000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 118600.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो राज्य सरकारों द्वारा मार्गनिर्देशों में निर्धारित की गई अपेक्षित शर्तें पूरी न किए जाने के कारण 15785.26 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(घा) ''राष्ट्रीय ई-अभिशासन कार्य योजना''- 500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 6200.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 6700.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर कम आवश्यकता होने के कारण 5000.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(का) ''सामान्य केंद्रीय सहायता''- 162594.31 लाख रु. की बचत (1234215.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना की उपलब्धि में गिरावट आने की वजह

"Grants for State Plan Schemes – Block Grants"- remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Slum Department" – the original provision of Rs.11600.00 lakhs was augmented to Rs.23000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.11400.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.2957.56 lakhs – due to less release of funds owing to non-fulfillment of requisite conditions by some State Governments.

(B) "Special Plan Assistance" – the original provision of Rs.63000.00 lakhs was augmented to Rs.207000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.144000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.67500.00 lakhs – due to less release under Special Plan Assistance to the extent of requirement provided under Special Central Assistance.

(C) "National Social Assistance Programme including Anapurna" – the original provision of Rs.67600.00 lakhs was augmented to Rs.118600.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.51000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.15785.26 lakhs – due to non-fulfillment of requisite conditions laid down in the guidelines by the State Governments.

(D) "National E-Governance Action Plan (NEGAP)" – the original provision of Rs.500.00 lakhs was augmented to Rs.6700.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.6200.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.5000.00 lakhs – due to less requirement based on the recommendations of Ministry of Communication and Information Technology.

(IV) Under Major Head "3601" – "Grants for State Plan Schemes – Block Grants" - savings also occurred under the following heads:-

(A) "Normal Central Assistance" – saving of Rs.162594.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1234215.00 lakhs) was due to cut in Central Assistance on account of short fall

से केंद्रीय सहायता में कटौती किए जाने, पिछले वर्षों के लेखापरीक्षित आंकड़े प्रस्तुत न किए जाने की वजह से केंद्रीय सहायता एक प्रतिशत रोक लिए जाने और विभाग का वास्तविक/प्रत्याशित योजना व्यय प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "ग्रामोदय योजना के अन्य कार्यक्रम"- 14501.91 लाख रु. की बचत (135500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम"- 45302.55 लाख रु. की बचत (140000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) "शहरी अवसंरचना सुदृढ़ीकरण के लिए पहल"- 42984.20 लाख रु. की बचत (50000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों द्वारा मार्गनिर्देशों में निर्धारित अपेक्षित शर्तें पूरी न किए जाने के कारण हुई।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1025.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3601" - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान- एकमुश्त अनुदान - बह्मपुत्र और बराक घाटी में संकटपूर्ण बाढ़ नियंत्रण और अपरदनरोधी स्कीम" के अंतर्गत मार्च, 2005 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2245" - "सामान्य"-

(क) "राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्य को सहायता - गंभीर स्वरूप की आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता" - 76651.41 लाख रु. का अधिक व्यय (मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 21661.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 181661.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

in achievement of plan, withholding of one percent Central Assistance for non-submission of audited figures for the previous years and non-submission of Departmental actual/ anticipated plan expenditure.

(B) "Other Programme of Gramodaya Yojana"– saving of Rs.14501.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.135500.00 lakhs);

(C) "Accelerated Power Development Programme (APDRP)" – saving of Rs.45302.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.140000.00 lakhs); and

(D) "Initiative for Strengthening Urban Infrastructure" – saving of Rs.42984.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.50000.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-fulfillment of requisite conditions laid down in the guidelines by the State Governments.

4.(I) The above savings were partly (Rs.1025.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2005 under Major Head "3601" – "Grants for State Plan Schemes – Block Grants – Critical Flood Control and Anti-erosion Scheme in Brahmaputra and Barakvalley".

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2245" – "General" -

(a) "Assistance to States from National Calamity Contingency Fund – Assistance to States from National Calamity Contingency Fund for calamities of severe nature" – excess of Rs.76651.41 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.181661.00 lakhs including supplementary grant of Rs.21661.00 lakhs obtained in March, 2005); and

(ख) "आरक्षित निधियों और जमा लेखे को अंतरण - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण"- 100000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (160000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय राष्ट्रीय आपदा राहत अर्थात सुनामी/सूखा के कारण राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601"-

(क) "योजनेत्तर अनुदान"-

(i) "अन्य प्रशासनिक सेवाएं - केंद्रीय अधिनियमों और विनिमयों को लागू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अदायगी - मूल्य वर्धित कर संबंधी व्यय के लिए राज्यों को अनुदान"- 688.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) "मूल्य वर्धित कर" लागू करने के लिए जागरूकता लाने एवं प्रचार के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराए जाने के कारण हुआ।

(ii) "समाज सेवा - मकबरों, मंदिरों आदि का रख-रखाव- स्वर्ण मंदिर परिसर के विकास के लिए सहायता"- 1375.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) स्वर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण, जिसके लिए प्रारंभिक चरण पर कोई प्रावधान नहीं किया गया था, के लिए पंजाब की सरकार को निधियां उपलब्ध कराए जाने के कारण हुआ।

(ख) "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान"-

(i) "बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता"- 108892.25 लाख रु. का अधिक व्यय (231000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाह्य अभिकरणों से प्राप्त प्रतिपूर्ति के आधार पर अतिरिक्त निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "विशेष केंद्रीय सहायता"- 67500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) योजना

(b) "Transfer to the Reserve Funds and Deposit Account – Transfer to National Calamity Contingency Fund" – excess of Rs.100000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.160000.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to additional requirement by the State Governments on account of National Calamity Relief i.e. Tsunami/Drought.

(B) Major Head "3601" –

(a) "Non Plan Grants" -

(i) "Other Administrative Services – Payment to States/Union Territories for Administration of Central Acts & Regulations – Grants to States for VAT related expenditure" – excess of Rs.688.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to providing additional funds to State Governments for awarness and publicity toward introduction of "VAT".

(ii) "Social Service – upkeep of Shrines, Temples etc. – Assistance for Development of Golden Temple Complex" – excess of Rs.1375.00 lakhs (against nil provision) was due to providing of funds to Government of Punjab for beautification of Golden Temple for which the provision was not made at the initial stage.

(b) "Grants for State Plan Schemes – Block Grants" -

(i) "Additional Central Assistance for externally aided projects" - excess of Rs.108892.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.231000.00 lakhs) was due to release of additional funds based on re-imbursement received from the external agencies.

(ii) "Special Central Assistance" – excess of Rs.67500.00 lakhs (against nil provision)

आयोग से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।

(iii) "अतिरिक्त केंद्रीय सहायता"- 112626.15 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग से प्राप्त सिफारिश के आधार पर राज्य वार्षिक योजना 2004-05 के लिए निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।

(iv) "त्वरित सिंचाई हितलाभ कार्यक्रम"- 47512.57 लाख रु. का अधिक व्यय (दिसंबर, 2004 में प्राप्त किए गए 30500.00 लाख रु. के पूरक प्रावधान की तुलना में) जल संसाधन मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर अतिरिक्त निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।

(v) "प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता (दोपहर का भोजन)"- 8299.99 लाख रु. का अधिक व्यय (113200.00 लाख रु. के पूरक प्रावधान की तुलना में) मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर अतिरिक्त निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*367436.42 लाख रु.)* दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए *94701.00 लाख* रु. के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत *विनियोग* का 13 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

was due to release of funds based on the recommendations received from Planning Commission.

(iii) "Additional Central Assistance" excess of Rs.112626.15 lakhs (against nil provision) was due to release of funds for State Annual Plan 2004-05 based on the recommendation received from Planning Commission.

(iv) "Accelerated Irrigation Benefit Programme" – excess of Rs.47512.57 lakhs (against the supplementary provision of Rs.30500.00 lakhs obtained in December, 2004) was due to release of excess funds based upon the recommendations of the Ministry of Water Resources.

(v) "Nutrition support for Primary education (Mid-day–meal)" – excess of Rs.8299.99 lakhs (against the supplementary provision of Rs.113200.00 lakhs) was due to release of additional funds based upon the recommendations of Ministry of Human Resource Development.

5. In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings *(Rs.367436.42 lakhs)* exceeded the supplementary *appropriation of Rs.94701.00 lakhs* obtained in December, 2004 and March, 2005 and constituted 13 percent of the total sanctioned *appropriation*.

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–	
मुख्य शीर्ष "7601" *राज्य सरकारों को कर्ज तथा अग्रिम (प्रभारित)*	Major Head "7601" *Loans and Advances to State Governments (Charged)*					
मू.	*O.*	*2676792.00*				
पू.	*S.*	*94701.00*	*2404056.58*	*2404056.58*		. .
पु.	*R.*	*–367436.42*				

(I) *60000.00 लाख* रु. का *विनियोग "राज्य योजना स्कीमों के लिए कर्ज - एकमुश्त कर्ज - ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कर्ज''* के अंतर्गत इस स्कीम का विलय त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम और कुटीर ज्योति स्कीम के साथ कर दिए जाने जिसके संबंध में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था, के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *Rs.60000.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under *"Loans for State Plan Schemes – Block Loans – Loans for Rural Electrification"* – due to merger of this scheme with the scheme of Accelerated Rural Electrification Programme and Kutir Jyoti which were approved in principle by Cabinet Committee on Economic Affairs.

(II) *"राज्य योजना स्कीमों के लिए कर्ज - एकमुश्त कर्ज- त्वरित सिंचाई हितलाभ कार्यक्रम''* के अंतर्गत *280000.00 लाख* रु. के मूल *विनियोग* को *56500.00 लाख* रु. का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *336500.00 लाख* रु. कर दिया गया था। तथापि, *127778.85 लाख* रु. की बचत (पूरक *विनियोग* सहित) जल संसाधन मंत्रालय से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(II) Under *"Loans for State Plan Schemes - Block Loans – Accelerated Irrigation Benefit Programme"* – the original *appropriation* of *Rs.280000.00 lakhs* was augmented to *Rs.336500.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.56500.00 lakhs*. However, there was a saving of *Rs.127778.85 lakhs* (including supplementary *appropriation*) due to less requirement based on the recommendations received from the Ministry of Water Resources.

(III) *"राज्य योजना स्कीमों के लिए कर्ज - एकमुश्त कर्ज''* के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक *विनियोग* निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary *appropriation* obtained under *"Loans for State Plan Schemes – Block Loans"* - remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) "विशेष योजना सहायता''- *7000.00 लाख* रु. के मूल *विनियोग* को *16000.00 लाख* रु. का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *23000.00 लाख* रु. कर दिया गया, यद्यपि, जो विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत आवश्यकता से कम राशि जारी किए जाने के कारण *7500.00 लाख* रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) "*Special Plan Assistance*" – the original *appropriation* of *Rs.7000.00 lakhs* was augmented to *Rs.23000.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.16000.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *Rs.7500.00 lakhs* – due to less releases under Special Plan Assistance to the extent of requirement provided under Special Central Assistance.

(खा) *"गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम''- 22500.00 लाख* रु. के मूल *विनियोग* को *22200.00 लाख* रु. का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *44700.00 लाख* रु. कर दिया गया, यद्यपि, जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित शर्तें पूरी न किए जाने की वजह से कम निधियां जारी किए जाने के कारण *3364.48 लाख* रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "*Slum Development Programme*" - the original *appropriation* of *Rs.22500.00 lakhs* was augmented to *Rs.44700.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.22200.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *Rs.3364.48 lakhs* - due to release of less funds owing to non-fulfillment of requisite conditions by some State Governments.

(IV) *"राज्य योजना स्कीमों के लिए कर्ज - एकमुश्त कर्ज''* के अंतर्गत बचतें निम्नलखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under *"Loans for State Plan Schemes - Block Loans"* – savings occurred under the following heads:-

(का) *"सामान्य केंद्रीय सहायता''- 171038.31 लाख* रु. की बचत (*1284592.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की

(A) *"Normal Central Assistance"* – saving of *Rs.171038.31 lakhs* (against the sanctioned

तुलना में) योजना की उपलब्धि में गिरावट आने, पिछले वर्षों के व्यय के लेखापरीक्षित आंकड़े प्रस्तुत न किए जाने के कारण एक प्रतिशत केंद्रीय सहायता रोक लिए जाने और विभागीय वास्तविक/प्रत्याशित योजना व्यय प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(खा) *"ग्रामोदय योजना के अन्य कार्यक्रम"- 22998.09 लाख* रु. की बचत (*141100.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई; और

(गा) *"त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम"- 154524.95 लाख* रु. की बचत (*210000.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कुछ राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित शर्तें पूरी न किए जाने की वजह से कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुईं।

(V) *"अर्थोपाय अग्रिम - अन्य अर्थोपाय अग्रिम"* के अंतर्गत *40400.00 लाख* रु. की बचत (*200000.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

6.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा *विनियोग* को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (*113.00 लाख रु.)* प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "7601" - *"राज्य योजना स्कीमों के लिए कर्ज - एकमुश्त कर्ज - ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में संकटपूर्ण बाढ़ नियंत्रण और अपरदनरोधी स्कीम"* के अंतर्गत मार्च, 2005 में *1.00 लाख* रु. का सांकेतिक पूरक *विनियोग* प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) *"योजनेत्तर स्कीम - संसाधनों के अंतराल को पूरा करने के लिए कर्ज - राज्यों को मध्यावधि योजनेत्तर कर्ज"- 59900.00 लाख* रु. का अधिक व्यय *(1000.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) मणिपुर की सरकार को उनके अनुरोध पर मध्यावधि योजनेत्तर कर्ज जारी किए जाने के कारण हुआ।

appropriation of *Rs.1284592.00 lakhs*) was due to cut in central assistance on account of short fall in achievement of plan, withholding of one percent central assistance for non submission of audited figures for expenditure for the previous years and non - submission of departmental actuals/anticipated plan expenditure.

(B) *"Other Programme of Gramodaya yojana"*- saving of *Rs.22998.09 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.141100.00 lakhs*); and

(C) *"Accelerated Power Development Programme (APDRP)"* - saving of *Rs.154524.95 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.210000.00 lakhs*).

Savings under the above two heads were due to release of less funds owing to non-fulfillment of requisite conditions by some State Governments.

(V) Under *"Ways and Means Advances – Other Ways and Means Advances"* – saving of *Rs.40400.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.200000.00 lakhs*) was due to less requirement of funds by State Governments.

6.(I) The above savings were partly (*Rs.113.00 lakhs*) utilised for augmenting the *appropriation* by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary *appropriation* of *Rs.1.00 lakh* in March, 2005 under Major Head "7601" – *"Loans for State Plan Schemes – Block Loans – critical Flood Control and anti-erosion Scheme in Brahmaputra and Barakvalley".*

(II) Savings were also offset by excess under the following heads:-

(A) *"Non-Plan Scheme – Loans to Cover Gap in resources – Medium Term Non-Plan Loans to States"* – excess of *Rs.59900.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation of Rs.1000.00 lakhs*) was due to release of Medium Term Non-Plan Loan to Government of Manipur on their request.

(खा) *"राज्य योजना स्कीमों को कर्ज - एकमुश्त कर्ज''-*

(क) *"बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता''- 62776.73 लाख* रु. का अधिक व्यय (*469000.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) बाह्य अभिकरणों से प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों के आधार पर अतिरिक्त निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।

(ख) *"विशेष केंद्रीय सहायता''- 7500.00 लाख* रु. का अधिक व्यय *(शून्य विनियोग* की तुलना में) हुआ;

(ग) *"अतिरिक्त केंद्रीय सहायता''- 89886.35 लाख* रु. का अधिक व्यय (*शून्य विनियोग* की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय योजना आयोग की सिफारिश के आधार पर निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।

(B) *"Loans for State Plan Schemes - Block Loans" -*

(a) *"Additional Central Assistance for externally aided projects"* - excess of *Rs.62776.73 lakhs* (against the sanctioned *appropriation of Rs.469000.00 lakhs*) was due to release of additional funds based on re-imbursement claims received from the external agencies.

(b) *"Special Central Assistance"* - excess of *Rs.7500.00 lakhs* (against *nil appropriation*); and

(c) *"Additional Central Assistance"* - excess of *Rs.89886.35 lakhs* (against *nil appropriation*).

Excess under the above two heads was due to release of funds based on the recommendation of Planning Commission.